न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-406RAAJodhpur2021-214RTA225 Babulal Vs Smt. Bhani devi etc

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री सुरजाराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम सरनाडा की ढाणी, कांकेलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. श्रीमती भाणी देवी पत्नी स्व. सुरजाराम
02. किसनाराम पुत्र स्व. सुरजाराम
03. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सुरजाराम
04. श्रीमती समुदेवी पुत्री स्व. सुरजाराम, पत्नी हिरालाल
05. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व. सुरजाराम पत्नी पाबूराम
06. श्रीमती पपुदेवी पुत्री स्व. सुरजाराम पत्नी मांगीलाल

सभी जातियान् ग्राम सरनाडा की ढाणी, कांकेलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर (दक्षिण) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 बाबूलाल बनाम श्रीमती भाणी देवी इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर **(दक्षिण)** जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 अनवान बाबूलाल बनाम श्रीमती भाणी देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 327 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नं. 1135 रकबा 15.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17 बीघा, खसरा नं. 328 रकबा 16.10 बीघा, खसरा नं. 329 रकबा 16.10 बीघा, खसरा नं. 1150 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं.322 रकबा 17.17 बीघा, खसरा नं. 1151 रकबा 11. 16 बीघा, खसरा नं. 1158 रकबा 11.16 बीघा, खसरा नं. 1158 रकबा 21.02 बीघा ग्राम कांकेलाव के संबंध धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2021 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलांट का 1/7 हिस्सा निहित है तथा अपीलांट को 1/7 हिस्से की खातेदारी जन्म से प्राप्त है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में समक्ष विचाराधीन वाद के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्एस द्वारा हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में भारी भूल की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं वाद क लंबित रहने तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी अपीलांट के दादा अमराराम पिता जुगताराम के नाम दर्ज रहने से प्रथमदृष्टया अपीलांट की पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार दर्ज होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। लिहाजा विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर **(दक्षिण)** जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 119/2021 अनवान बाबूलाल बनाम श्रीमती भाणी देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 नवंबर 2021 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर